



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दण्डिक विविध याचिका क्रमांक 83/2008

आवेदक:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

अनावेदक:

1. ननकीराम देवांगन, पिता रामचरण देवांगन, आयु लगभग 61 वर्ष
2. साहेब लाल, पिता घांसीराम मधुकर, आयु लगभग 41 वर्ष
3. चिंता राम लहरे, पिता छायाराम लहरे, आयु लगभग 42 वर्ष

समस्त निवासी ग्राम पामगढ़, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(3) के अधीन अपील करने की अनुमति

हेतु आवेदन एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1) के अधीन अपील का

ज्ञापन

उपस्थिति:

राज्य/आवेदक की ओर से श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता, ।

मौखिक आदेश

(दिनांक 19.2.2008)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा:

तर्क श्रवण किये गए।



न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जांजगीर द्वारा दण्डिक प्रकरण क्रमांक 493/2005 में पारित दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 29/09/2006 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु राज्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन यह याचिका प्रस्तुत की है।

यह याचिका 405 दिनों के विलम्ब से बाधित है और याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के क्षमापन हेतु अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 01/08 प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अनावेदकों के विरुद्ध ग्राम पामगढ़ में दिनांक 08.11.2001 को अपराह्न लगभग 2:00 बजे हुई एक कथित घटना के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग-II एवं 447 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। आरोप यह हैं कि उन्होंने परिवादी, नामतः दुष्यंत कुमार (अ.सा.-2) को गाली-गलौज की, उसे धमकाया और उस दीवार को भी ध्वस्त कर दिया, जो परिवादी के निर्देशों पर निर्मित की जा रही थी। परिवादी का दावा है कि दीवार उसकी स्वयं की भूमि पर बनाई जा रही थी और अनावेदकों का ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अधीन दण्डनीय था। विचारण किये जाने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के साक्षियों, नामतः राम कुमार केस्कर (ब.सा.-1) एवं दीनदयाल भास्कर (ब.सा.-2) के साक्ष्य के आधार पर, परिवादी दुष्यंत कुमार (अ.सा.-2) एवं उसके पिता टीकाराम (अ.सा.-1) के संस्करण पर अविश्वास किया और यह



निष्कर्ष अभिलिखित किया कि वास्तव में, घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति संदेहास्पद है और अभियुक्त व्यक्ति इस प्रकरण में दोषमुक्ति के पात्र हैं।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने अ.सा.-

1 टीकाराम एवं अ.सा.-2 दुष्यंत कुमार के साक्ष्य पर अविश्वास करते हुए विधिक त्रुटि की है। उन्होंने मेरा ध्यान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की विभिन्न कंडिकाओं की ओर आकृष्ट किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 19 के माध्यम से ब.सा.-1 रामकुमार केस्कर के संस्करण पर विश्वास किया है, जिसे अभियुक्त सी.आर. लहरे के कार्यालय से उपस्थिति पंजी के साथ न्यायालय में बुलाया गया था।

यह निर्धारित किया गया है कि उपस्थिति पंजी (प्रदर्श डी.1-सी) के अनुसार दिनांक 08.11.2001 को सी.आर. लहरे कार्यालय में उपस्थित दर्शित था और इसी तथ्य की

पुष्टि ब.सा.-1 रामकुमार केस्कर के मौखिक साक्ष्य द्वारा भी की गई थी। निर्णय की

कंडिका 20 के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने ब.सा.-2 दीनदयाल भास्कर के संस्करण पर विश्वास किया है, जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि घटना के दिनांक,

अर्थात् दिनांक 08.11.2001 को, अभियुक्त साहेबलाल मधुकर दौरे पर था। उसने प्रदर्श

डी.2 के रूप में चिह्नित कार्यालय का सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत किया। इसी साक्ष्य

के आधार पर, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन

साक्षियों, विशेष रूप से अ.सा.-1 टीकाराम एवं अ.सा.-2 दुष्यंत कुमार द्वारा दिए गए

संस्करण विश्वसनीय नहीं थे और घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति





संदेहास्पद हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

बुद्ध सिंह एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 9 एस.सी.सी. 731 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के प्रकरण में, उच्च न्यायालय सामान्यतः दोषमुक्ति के निर्णय को ऐसे प्रकरण में अपास्त नहीं करता है जहाँ दो मत संभव हों, भले ही अपीलीय न्यायालय का मत अधिक संभाव्य हो। तथापि, दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार करते समय, वह अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि क्या विचारण न्यायालय के मत विकृत अथवा अन्यथा अपोषणीय थे। वह इस पर विचार करने का भी हकदार है कि क्या तथ्य का निष्कर्ष निकालने में विचारण न्यायालय ग्राह्य साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है और उसने विधि के विपरीत अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार किया है। इसी प्रकार, साक्ष्य के भार का गलत निर्धारण भी अपीलीय न्यायालय की संवीक्षा का विषय हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, **वी.एन. रतीश विरुद्ध केरल राज्य, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 2667** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उस साक्ष्य का पुनरीक्षण करने पर कोई रोक नहीं है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। सामान्यतः, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषता की उपधारणा दोषमुक्ति से और अधिक सुदृढ़ हो



जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि दण्डिक प्रकरणों में न्याय प्रशासन के सुनहरे न्यायसूत्र के अनुसार यदि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो मत संभव हों, जिसमें से एक अभियुक्त के दोष की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर संकेत करता हो, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में हो, उसे अपनाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो किसी दोषी की दोषमुक्ति से उत्पन्न हो सकती है, वह किसी निर्दोष की दोषसिद्धि से कम नहीं है। ऐसे प्रकरण में जहाँ ग्राह्य साक्ष्य की उपेक्षा की जाती है, वहाँ अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य आरोपित होता है कि जहाँ अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है, वहाँ साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान सिंह एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2002 (2) सुप्रीम 567)** के प्रकरण में दिए गए विनिश्चय का संदर्भ दिया। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था कि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाला सिद्धांत यह है कि केवल तभी हस्तक्षेप किया जाए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण विद्यमान हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है और सुसंगत एवं ठोस साक्ष्यों को मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनुचित रूप से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए एक बाध्यकारी कारण है।



यदि हम इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा उपरोक्त प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में करें, तो प्रथमतः, यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया यह मत कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तव में घटनास्थल पर उपस्थित थे, ब.सा.-1 रामकुमार केस्कर एवं ब.सा.-2 दीनदयाल भास्कर के साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह से अयुक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, अतएव, इसे एक संभाव्य मत कहा जा सकता है जो संभव मतों में से एक हो सकता है, जिसे विचारण न्यायालय ने अपनाया है। यह ऐसा प्रकरण भी नहीं है जिसमें या तो ग्राह्य साक्ष्य की अनदेखी की गई हो या ऐसा प्रकरण हो जहाँ न्याय की विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई बाध्यकारी और ठोस कारण भी नहीं हैं, जब यह स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, विशेषकर तब जब न्यायोचित और उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी भी सुसंगत और ठोस साक्ष्य को अनुचित रूप से नहीं हटाया गया है।

मुझे राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुमति याचिका में कोई गुण-दोष नहीं मिलता है।

तदनुसार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के अधीन राज्य द्वारा प्रस्तुत यह अनुमति याचिका खारिज किए जाने योग्य है।



जहाँ तक अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 01/2008 का प्रश्न है, यह अनुमति याचिका प्रस्तुत करने में हुए 405 दिनों के विलम्ब के क्षमापन हेतु प्रस्तुत किया गया है और राज्य ने समय पर अनुमति याचिका प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाते हुए कोई ठोस तर्क नहीं दिया है। अतएव, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 01/2008 भी खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, अनुमति याचिका एवं अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 01/2008, दोनों खारिज किए जाते हैं।



सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।